कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001
ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– न.वि.न्या / नियमन / 2024 / 00446 दिनांकः–11.07.2024

प्रेषितीः–

इब्राहीमखां पुत्र करीमखां, मुनीरखां पुत्र करीमखां, महमूदखां पुत्र करीमखां, शुभानाबानो पत्नी सलीम, समदरखां पुत्र करीमखां समस्त निवासी सबलुपरा सीकर समस्त जरिये मुख्त्यारनामा आम एवं स्वयं खातेदार शाहरूख खान पुत्र श्री सलीम खान जाति मुसलमान निवासी सबलपुरा सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1145 / 276 रकबा 1.2550 है. भूमि में सालासर सिटी फैज–4 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1145 / 276 रकबा 12550 वर्गमीटर भूमि में सालासर सिटी फैज–4 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में राशि जमा करवाई गई है।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4 व 7) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
11. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– योजना मानचित्र।

RajKaj Ref
8886745

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.11 20:19:46 IST
Reason: Approved

(जय ...)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

SALASAR CITY PHASE-4

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 1145/276 DHAKA KI DHANI,SIKAR
REVENUE VILL. -DHAKA KI DHANI, TEH.- SIKAR GRAMIN,DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- 1. IBRAHIM KHAN 2. MUNIR KHAN 3.MEHMOOD KHAN 4. SHAMDAR KHAN ALL S/O KARIM KHAN 5. SUBHAN BANO W/O SALIM THROUGH POWER OF ATTORNEY 6. SHAHRUKH KHAN S/O SALIM KHAN ALL R/O SABALPURA, TEH. SIKAR GRAMIN, DIST.- SIKAR

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

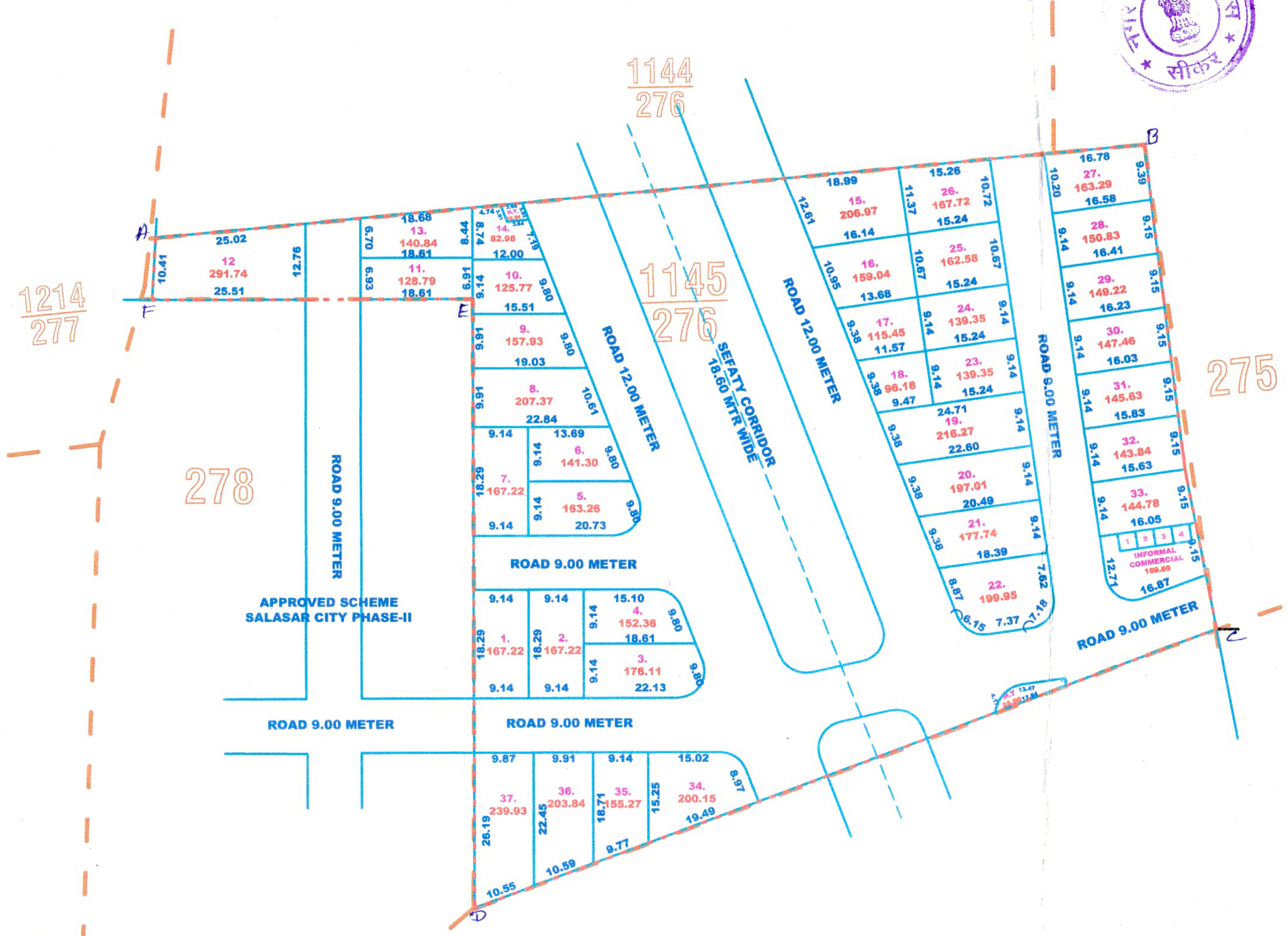

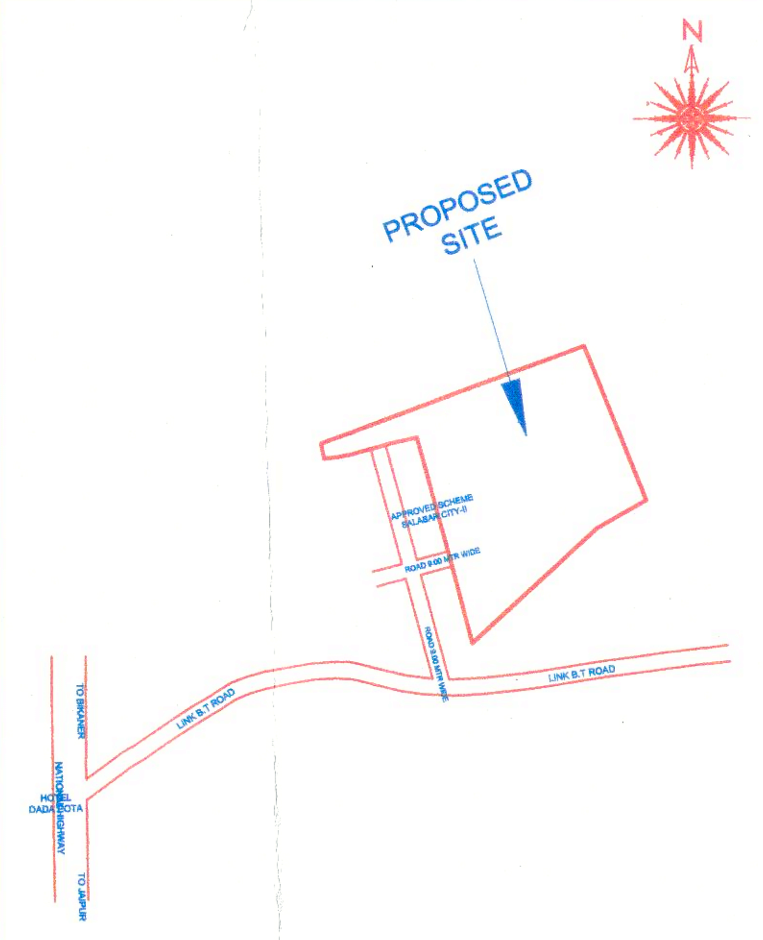

KEY-PLAN
Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	6091.96	48.54%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0169.69	01.35%
3.	MOBILE TOWER	0038.54	00.31%
4.	AREA SURRENDER IN H.T LINE	1812.86	14.45%
4.	ROAD	4436.95	35.35 %
	TOTAL	12550.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOTS	37
3.	INFORMAL COMMERCIAL	4
4.	MOBILE TOWER	2

- - - - - - -	SCHEME BOUNDARY
— — —	KHASRA LINE
———	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =8.0 MTR

रिपोर्ट राजस्व शाखा
योजना क्षेत्र ABCDEFA से प्रदर्शित योजना राजस्व नक्शे से मिलान किया गया जो मौका अनुरूप है।
14/6/24
ILR-UIT

GOOGLE EARTH MAP

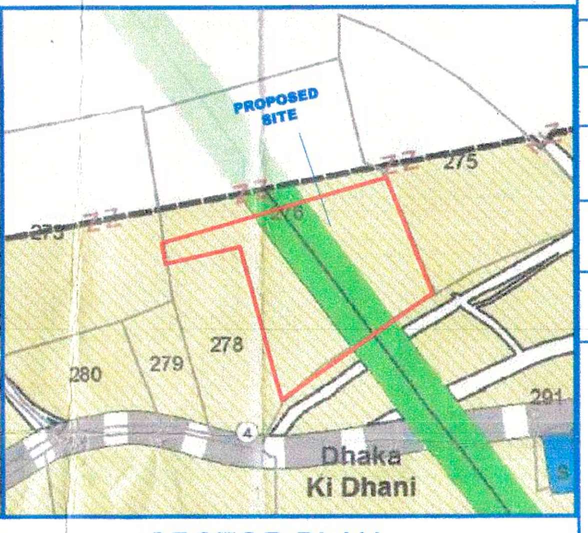

SECTOR PLAN

TOTAL AREA IN KH. NO. 1145/276=12550.00 SQ. MTR

योजना का नाम Salasar city-P4 का ले–आउट आज दिनांक 14/06/2024 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर	अधिशाषी अभियन्ता नगर सुधार न्यास सीकर	सचिव नगर विकास न्यास, सीकर